Kalawati Ayurvedic Medical College and Research Center & Hospital

IPD PATIENT 4 June TO 30 June 2021		
DEPARTMENT	JUN	By the order of C.M.O Kasganj vide letter No. मु.चि.अ. / कोविड / 2021 / कैम्प –82 dated 19.04.2021, Kalawati Ayurvedic Medical College And Research Center & Hospital, Gorha, Kasganj was acquired for Covid Positive Patient hence no OPD, IPD done duing the period of 20 .04. 2021 to 03.06.2021. However in compliance of Letter No. 26-74/2021 (Common matter) Dated 04.05.2021 online consultation, Telemedicine and OPD Services were provided by our Institute. It is also stated that Ayush Kadha by also distributed to the Isolated and common patients by us. As per direction received vide letter No. 205/कोविड / 2020–21 / सामान्य dated 03.06.2019, Lucknow U.P. OPD & IPd have been started since 04.06.2021. Online OPD and Telemedicine Treatment given to - 33 patients
KAYACHIKITSA	41	
PANCHKARMA	8	
SHALYA	13	
SHALAKYA	8	
PRASUTI & STRI ROGA	7	
KAUMARBHRITTYA	4	
MONTH TOTAL	81	

प्रेषक.

निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएं उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में.

- समस्त प्रधानाचार्य/अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, उत्तर प्रदेश।
- समस्त क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

परिपत्र सँख्या :

205

/कोविड / 2020-21 / सामान्य

दिनांक- ० 3 जून, 2021

विषयः आयुष विमाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं अस्पतालों में ओ०पी०डी० व अन्य सेवाये प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के परिपत्र संख्या—6/कोविड/2020—21 दिनांक—17.04.2021 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कोविड—19 के संक्रमण दर में वृद्धि होने के कारण प्रदेश में महामारी अधिनियम 1897 एवं आपदा मोचन अधिनियम 2005 लागू होने के फलस्वरूप अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक—16.04.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं राजकीय आयुर्वेदिक कालेजा में सम्बद्ध अस्पतालों में ओं०पी०डी० सेवाओं को अग्रिम आदेशों तक स्थिगत किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में अपर मुख्य गर्चिव उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग—5 के शासनादेश संख्या—1147/पांच—5—2021 दिनांक—02.06 2021 (छायाप्रति सलग्न) द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आयुष विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में सम्बद्ध अस्पतालों में ओं०पी०डी० सेवाओं एवं अन्तर्गत सुवाह रूप से संचालित किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए, कोविड—19 के संक्रमण की वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कोविड डयूटी निर्धारित करें तथा शेष चिकित्साधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से जनसामान्य का आयुर्वेद विधा से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

ं परिपत्र सँख्या :

/कोविड / 2020-21 / सामान्य

दिनांक-

जून, 2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- 1. निजी सचिव, मां० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष, उ०प्र० सरकार को इस आशय से प्रेषित कि वह मां० मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2. अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3. विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन।

(प्रो० एस० एन० सिंह) निदेशक।